

दिनांक 12.08.2014 को श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग-सह-अध्यक्ष, जे0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में आहूत झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के प्रबंध पर्षद की 23वीं बैठक की कार्यवाही:-

उपरिस्थिति:-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग-सह-अध्यक्ष, जे0आर0डी0ए0।
2. श्री प्रशान्त कुमार, उपायुक्त, धनबाद-सह-प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0, धनबाद।
3. श्री चन्द्र किशोर मण्डल, उप विकास आयुक्त-सह-परियोजना निदेशक, जे0आर0डी0ए0, धनबाद।
4. श्री डी०सी० झा, निदेशक निकनिकी (संचालन) बी०सी०सी०एल० कोयला भवन, धनबाद।
5. श्री उमाकान्त पाठक, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।

1. सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-प्रबंध निदेशक के द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त का स्वागत करते हुए उनसे अनुमति प्राप्त होने पर बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई।

दिनांक 13.01.2014 को आयोजित झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के प्रबंध पर्षद की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई। प्रगारी पदाधिकारी (आर० एण्ड आर०), झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के द्वारा एक-एक कर अनुपालन योग्य बिन्दुओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा किया गया। अध्यक्ष के द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यवाही में सभी संबंधित तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

2. मास्टर प्लान में विहित आँकड़ों से अधिक HOUSEHOLD का सर्वेक्षण कराने की रवीकृति तथा मास्टर प्लान में उसका प्रावधान करने के संबंध में :- प्रगारी पदाधिकारी (R&R & Estb.) के द्वारा बतलाया गया कि मास्टर प्लान के अनुसार 595 खतरनाक स्थलों से परिवारों को हटाया जाना है और ऐसे परिवारों की कुल संख्या 54159 है। लेकिन वास्तविक सर्वेक्षण कराने के समय अभी तक 451 स्थलों पर 61316 परिवारों को पाया गया है। अभी भी 144 साईट का सर्वेक्षण किया जाना बाकी है। इस प्रकार वास्तविक सर्वेक्षण का अनुमानित संख्या मास्टर प्लान में दी गई संख्या से बहुत अधिक है। उनके द्वारा आगे बतलाया गया कि दिनांक 13.01.2014 के प्रबंध पर्षद की बैठक में क्षेत्रीय निदेशक RI-II तथा तकनिकी निदेशक (स०) के द्वारा पर्षद को बतलाया गया था कि मास्टर प्लान में विहित आँकड़े INDICATIVE है और इसमें कमी-वेशी होने की सम्भावना है। किन्तु कमी-बेसी का अनुपात इतना विषम नहीं होना चाहिए। वास्तविक सर्वेक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि परिवारों की संख्या लगभग 85-90 हजार तक पहुँच जायेगी। इसलिए इसकी जानकारी IAPCC को दिया जाना उचित होगा।

निर्णय लिया गया कि पूर्ण विवरणी के साथ प्रस्ताव IAPCC को भेजा जाय।

3. TRANSIT CAMP लोदना झरिया, बी०सी०सी०एल० के कार्य हेतु प्राक्कलन एवं E-TENDERING का अनुमोदन :- Expert Appraisal Committee की दिनांक 30.10.2012 की बैठक में प्रथम बार बी०सी०सी०एल० के तरफ से यह जानकारी दी गई कि वे अपने Mining Area Extension के लिए

अपने Reclaimed भू-भाग पर प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करना चाहते हैं। इस कार्य में जे0आर0डी0ए0 से सहयोग की अपेक्षा है। मास्टर प्लान में अस्थायी विस्थापन या Transit camp का कोई प्रावधान नहीं है और न तो Budget Provision है। इसके लिए बी0सी0सी0एल0 से पत्राचार भी किया गया। इधर परामर्शी, कोल मंत्रालय के द्वारा दिनांक 16.04.2014 को आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अस्थायी विस्थापन के मामले में पहले यह सुनिश्चित हो जाना आवश्यक है कि शिफ्ट होने वाले परिवार अस्थायी विस्थापन के लिए तैयार है या नहीं अन्यथा अस्थायी विस्थापन के लिए हुए खर्च का अपव्यय होगा। इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते मुख्य प्रबंधक (असैनिक), जे0आर0डी0ए0 ने सूचना दी कि फरवरी 2014 तक 720 इकाई विस्थापित आवास तैयार हो जायेगा। चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी कि इस संबंध में कोई गारंटी नहीं दे सकती है कि विस्थापित होने वाला परिवार अस्थाई रूप से शिफ्ट होगा या नहीं। चर्चा के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि लगभग 6 (छः) माह में बेलगड़िया में 912 आवास तैयार हो जाने की सम्भावना है जहाँ सभी जीवनोपयोगी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस स्थल पर ही स्थाई विस्थापन करना उचित होगा। यह भी विचार किया गया कि इन आवासों में से 100 आवास को आपातकालिन प्रयोग के लिए सदा सुरक्षित रखना चाहिए।

निदेशक (तकनीकी) संचालन ने भी सहमति जताई। अतः प्रबंध पर्षद ने ट्रांजिट कैम्प के अवधारणा (प्रस्ताव) को समाप्त करने में सहमति जताई तथा निदेश दिया कि बेलगड़िया में निर्माणाधीन कालोनी में पूर्ण हुए आवासों में से 100 आवास सदा आपातकालीन प्रवेश के लिए सुरक्षित रखा जाय।

4. निपनियों में 6000 युनिट के विस्थापित आवास के लिए किए गए RE-TENDER का रद्दीकरण:- मुख्य प्रबंधक (असैनिक) जे0आर0डी0 के द्वारा बतलाया गया कि विगत प्रबंध पर्षद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में 6000 इकाई के कार्य RE-TENDERING किया गया। TENDER EVALUATION को अंतिगरूप देने की प्रक्रिया में CREDENTIAL VERIFICATION की आवश्यकता है। इस निविदा में दो निविदाकर्ताओं ने भाग लिया है। इनके CREDENTIAL VERIFICATION की कार्रवाई की गई है। CREDENTIAL VERIFICATION की प्रक्रिया तमाम प्रयासों के बावजूद भी पूर्ण नहीं हो सकी क्योंकि ISSUING AUTHORITY इस संबंध में कोई लिखित जवाब देने के लिए इच्छुक नहीं है। बिना CREDENTIAL VERIFICATION के EXPERIENCE ELIGIBILITY पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। दोनों ही बिंड्स SHORTCOMINGS है। अतः टेंडर कमेटी ने इस संबंध में TENDER को CANCEL करने का मंतव्य दिया है।

TENDER COMMITTEE के अनुशंसा के आलोक में निपनियों के 6000 विस्थापित आवास के लिए किये गए RE-TENDER को रद्द करने का निर्णय लिया गया।

5. M/S M.J. ENGINEERING, BOKARO पर लगाये गए दण्ड एवं पुनरिक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में :- इस संबंध में मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने बतलाया कि JRDA के द्वारा बेलगड़िया में HT & LT तथा Service connection के लिए M/s M.J. ENGINEERING को अनुबंधित किया गया था। अनुबंधित कार्य राशि 10999722.80 रु० की थी। इसका Finished Work Value कार्य समाप्ति पर रु० 11471579.85 हो गई। Revised Estimate की राशि 4.11% Agreement value से अधिक है। यह कार्य पूर्ण हो चुका है। संवेदक द्वारा 11452225.78 रु० का पुनरिक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के साथ-साथ कार्य में हुए विलम्ब के कारण उसमें लगाए गए 10% के दण्ड को माफ करने का






अनुरोध किया गया था। दिनांक 13.01.2014 की प्रबंध पर्षद की बैठक में उपर्युक्त संवेदक के अनुरोध के जाँच के संबंध में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है जिससे स्पष्ट होता है कि कार्य में विलम्ब होने का एक कारण स्थानीय भी था क्योंकि इस क्षेत्र के ग्रामिणों द्वारा बार-बार कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया और किसी तरह से जे0आर0डी0ए0 के पदाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी के प्रयास से कार्य सम्पन्न हो सका। अतः पुरा विलम्ब संवेदक की गलती से नहीं हुआ है। चर्चा के बाद प्रबंध पर्षद ने पुनःरीक्षित प्राक्कलन 1,14,52,225.78 की स्वीकृति प्रदान करते हुए M/s M.J. ENGINEERING पर लगाए गए दण्ड को 10% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया।

6. **आपदा प्रबंधन** :- प्रबंध पर्षद में लिये गये निर्णय के आलोक में जे0आर0डी0ए0 के पत्रांक 117 दिनांक 03.02.14, पत्रांक 133 दिनांक 08.03.14 तथा पत्रांक 558 दिनांक 19.07.14 के द्वारा CMPDIL (BUSINESS DEVELOPMENT), RANCHI से आपदा प्रबंध कार्य योजना को बनाने हेतु अनुरोध किया गया था। उनके द्वारा अपने पत्रांक 994 दिनांक 25.07.2014 द्वारा सूचना दी गई कि तकनीकी सुविज्ञता नहीं रहने के कारण वे आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य योजना बनाने में असमर्थ है। ज्ञातव्य हो कि दिनांक 06.07.2009 को श्री टी0पी0 सिन्हा, राज्यपाल के परामर्शी, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बी0सी0सी0एल0 30 दिनों के अन्दर इस संबंध में एक आकस्मिक योजना तैयार करें और वह इस उद्देश्य के लिए National Disaster Management Authority से भी आवश्यक परामर्श करलें। इसी तरह दिनांक 16.4.2014 को सम्पन्न HPPCC REVIEW मिति में भी इस कार्य हेतु बी0सी0सी0एल0 को वही दायित्व दिया गया है। निर्णय लिया गया कि जे0आर0डी0ए0 सभी पत्रों का उल्लेख करते हुए बी0सी0सी0एल0 से अनुरोध किया जाय कि वे आपदा प्रबंधन कार्य योजना हेतु अपने स्तर पर में त्वरित कार्रवाई करें ताकि आने वाली HPPCC बैठक में इसे प्रस्तुत किया जा सके।
7. **भू-अर्जन के लिए मास्टर प्लान में प्रावधान करने के संबंध में:-** प्रभारी पदाधिकारी (R&R) के द्वारा बतलाया गया कि मास्टर प्लान के प्रावधान के अनुसार जे0आर0डी0ए0 को 2730 एकड़ जमीन की आवश्यकता है और इसके लिए निजी तथा अतिक्रमणकारी को मिलाकर कुल 227.84 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान है। यह बजट प्रावधान पूरी तरह समाप्त हो गया है और जे0आर0डी0ए0 में भूमि अधिग्रहण का मामला पैरो के अभाव में बंद है। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि मास्टर प्लान की उपर्युक्त प्रावधानित राशि वर्ष 2008 के Cost index (1600) पर आधारित है, जो सिर्फ 17.18 लाख/हैक्टर है जबकि आजका cost index 3440 है। इस Cost index के बढ़ोतरी के आधार पर प्रावधानित राशि दोगुणा से ज्यादा होनी चाहिए। यही नहीं L.A. Act '13 के लागू हो जाने के कारण भू-अर्जन की राशि में 4 गुणा वृद्धि हो गई है। यदि भू-अर्जन की कार्रवाई आपात कालीन प्रकिया के अन्तर्गत की जाती है तो इस 4 गुणा राशि का 75% और अधिक राशि भू-अर्जन के लिए खर्च करना पड़ेगा। अर्थात् कुल मिलाकर वर्तमान खर्च का लगभग 7.5 गुणा खर्च आने की सम्भावना है। चर्चा में भाग लेते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने भी उपर्युक्त बातों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि त्वरित भू-अर्जन के कार्रवाई के लिए राशि का होना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि सभी विशिष्टियों एवं आकड़ों की विवरणी तैयार किया जाय। इसके लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे शीघ्र सम्भावित बजट प्राक्कलन तैयार कर जे0आर0डी0ए0 को उपलब्ध करायेंगे और जे0आर0डी0ए0 इसे HPPCC को समर्पित करेगा।




8. भू-अर्जन के लिए SUB-HEAD "LAND COMPENSATION" से SUB-HEAD RESETTLEMENT LAND COST में 110466.57 लाख रुपया के पुनर्विनियोग (REAPPROPRIATION) के संबंध में:- प्रगारी पदाधिकारी (R&R) के द्वारा बतलाया गया कि मास्टर प्लान में 2730 ए० भू-भाग की आवश्यकता बतलाई गई है और इसके लिए "RESETTLEMENT LAND COST" नामक बजट शीर्ष "SUB HEAD" बनाया गया है। इस SUB HEAD के अन्तर्गत निजी स्वामित्व वाले तथा अतिक्रमणकारियों के लिए क्रमशः ₹ 16,392.49 एवं ₹ 6,39,241.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इस प्रकार तत्काल सम्पूर्ण 227.84 करोड़ का पुरा बजट प्रावधान विभिन्न भू-अर्जन के रिलसिले में खर्च हो चुका है। भविष्य के लिए जे०आर०डी०ए० के पास इस मद में कोई बजट प्रावधान नहीं है। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि मास्टर प्लान में ही निजी भू-स्वामित्ववाले परिवारों को भू-भाग के लेने मुआवजा देने के संबंध में अलग से एक LAND COMPENSATION BUDGET शीर्ष खुला हुआ है, जिसके अन्तर्गत कुल 1104.66 करोड़ का ₹ का बजट प्रावधान है। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि विभिन्न स्थलों के सर्वेक्षण के दौरान यह बात सामने आयी है कि निजी स्वामित्ववाले परिवार अपना सर्वेक्षण नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बी०सी०सी०एल० तथा जे०आर०डी०ए० के COMPENSATION प्रावधानों में भिन्नता है। बी०सी०सी०एल० प्रबंधन दो एकड़ जमीन के प्रति ऐसे परिवारों को एक-एक नियोजन देता है जबकि जे०आर०डी०ए० में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मास्टर प्लान के अनुसार निजी स्वामित्ववाले परिवारों को उनके द्वारा धारित भू-भाग तथा उस भू-भाग पर अवस्थित अवरचना का मूल्यांकन कराकर भुगतान करना है। इसके साथ-साथ उन्हें भी अतिक्रमणकारी परिवारों की तरह ₹ 10000/- SHIFTING ALLOWANCE तथा 500 दिनों की न्यूनतम मजदूरी देय है। इसके अतिरिक्त ऐसे परिवारों को 100 वर्ग मी० का भू-भाग मुफ्त में देना है। ऐसे निजी भू-स्वामित्व परिवार अपने भू-भाग के लिए सीधे बी०सी०सी०एल० से सँवाद स्थापित करना चाहते हैं। उन्हें उनके और बी०सी०सी०एल० के बीच में दूसरे का (जे०आर०डी०ए०) हस्तक्षेप नहीं चाहिए। इस प्रकार "LAND COMPENSATION" बजट शीर्ष का सम्पूर्ण बजट प्रावधान (₹ 1,10,466.57 लाख) बचा हुआ है। चूँकि "LAND COMPENSATION" तथा RESETTLEMENT LAND COST दोनों की प्रकृति एक तरह की है इसलिए "LAND COMPENSATION" बजट शीर्ष की पूर्ण राशि "RESETTLEMENT LAND COST" में पुनर्विनियोग कर दिया जाय क्योंकि इस राशि का निकट भविष्य में खर्च होने की सम्भावना बहुत ही क्षिण है।

इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान यह बिन्दु चर्चा में छाया रहा कि एक जिले में एक उद्देश्य के लिए दो विस्थापन नीति नहीं चलाई जा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषमता को दूर करने हेतु HPCC को अनुशंसा भेजी जाय। जे०आर०डी०ए० इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव बनाकर HPCC/BCCL को भेजे। बजट शीर्ष LAND COMPENSATION में प्रावधानित राशि (Rs. 1,10,466.57 लाख) का SUB-HEAD "RESETTLEMENT LAND COST" में REAPPROPRIATION का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा अनुशंसा के साथ HPCC को भेजने का निर्णय लिया गया।

9. "झरिया विहार" कॉलोनी में नव-निर्मित MARKETING COMPLEX में BANK OF INDIA का ATM Counter खोलने के लिए दुकान आरक्षित करने के संबंध में :- स्वीकृत।
10. आयकर अधिनियम, 1961 के Section 10(46) के अंतर्गत छूट प्रदान करने के संबंध में - मुख्य प्रबंधक (वित्त) ने प्रबंध पत्र में यह जानकारी दी कि जे०आर०डी०ए० द्वारा आयकर विधेय हेतु समस्त कार्रवाई कर ली गई है और इसके लिए INCOME TAX की ASSESSMENT करना है।



जे०आर०डी०ए० SOCIETY ACT के अन्तर्गत NON-PROFITABLE ORGANIZATION है। जे०आर०डी०ए० को INCOME TAX EXEMPTION के लिए FORM 10 A के अन्तर्गत आयकर छुट के लिए APPLY करना है और SECTION 80(G) के अन्तर्गत (Donation पर 100% छुट) के लिए FORM 10G के द्वारा REGISTRATION करना है। इस प्रस्ताव पर प्रबंध पर्षद द्वारा स्वीकृति दी गई एवं उप विकास आयुक्त-सह-परियोजना निदेशक को 10A और 10B पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया गया।

11. M/S WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION (PVT.) LTD. को झरिया कोलफिल्ड के अग्नि एवं भू-स्खलन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कार्य के लिए TIME EXTENTION की स्वीकृति के संबंध में - प्रभारी पदाधिकारी (R&R) के द्वारा बतलाया गया कि मास्टर प्लान के प्रावधान के अनुसार 595 साईट का सर्वे होना है। इसमें से अभी तक 491 साईट का सर्वे पूरा हो गया है। सर्वेक्षित स्थलों पर 54159 के स्थान पर अभी तक कुल 61316 परिवार का सर्वेक्षण हो चुका है। M/S WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION (PVT.) LTD. को 19550 परिवारों का सर्वेक्षण कराने का अनुबंधित किया गया था जिसका अनुबंध राशि 41,64,364.00 लाख रू० थी। इनके द्वारा सर्वेक्षण कार्य समाप्त करने हेतु अवधि विस्तार की मांग की गई है। इनका प्रथम अवधि विस्तार दिनांक 27.05.2014 को समाप्त हो गया है, और इन्होंने अभी तक 25331 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इनके अनुरोध के अनुसार सर्वेक्षण अवधि विस्तार के साथ-साथ अनुबंधित राशि से अधिक राशि को स्वीकृत पर भी विचार करना है क्योंकि इन्हें अभी लगभग 25-30 हजार परिवारों का सर्वेक्षण करना है जिसकी सम्भावित राशि लगभग 50 लाख होगी। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्य प्रबंधक (वित्त) ने जानकारी दी की वित्तीय नियमों के आलोक में साधारणतः कार्यादेश से 10% से अधिक का विचलन मान्य नहीं है। चूंकि सम्भावित खर्च 50 लाख से अधिक का बताया जा रहा है इसलिए ORIGINAL WORK ORDER से विचलन का प्रतिशत 120% से अधिक है। इसलिए इसके लिए नया WORKORDER निर्गत होना चाहिए। निदेशक तक० (संचालन) ने भी पर्षद को बतलाया कि अभी तक एक भी LTA का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

सर्वेक्षण कार्य में हो रहे विलम्ब तथा अन्य जानकारी के लिए M/S WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION (PVT.) LTD. के अभिषेक चक्रवर्ती को बैठक में बुलाया गया और सर्वेक्षण के संबंध में प्रकाश डालने हेतु निदेश दिया गया। श्री चक्रवर्ती द्वारा सदन को बतलाया गया कि बी०सी०सी०एल० के प्रतिनियुक्त स्थानीय कर्मी समय से सर्वेक्षण कार्य में नहीं आते हैं। सर्वेक्षण होने वाले स्थल पर उनके द्वारा पूर्व में सूचना नहीं दी गई होती है। इसलिए सर्वेक्षण की संख्या में बहुत कमी होती है। उन्होंने अपने कठिनाई का जिक्र करते हुए आगे बतलाया कि SURVEY INFORMATION SHEET पर बी०सी०सी०एल० पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है। अभी भी लगभग 3500 सर्वेक्षण प्रपत्र सत्यापन हेतु कतरास क्षेत्रीय कार्यालय में लम्बित है। पर्षद द्वारा पुछे जाने पर उन्होंने यह भी सूचना दी कि LTA अपना सर्वेक्षण कराने के लिए तैयार नहीं है। श्री चक्रवर्ती द्वारा अनुरोध किया गया कि सर्विस टेकरा के रूप में काटी गई राशि लौटाई जाय। विचार-विमर्श के बाद M/S WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION (PVT.) LTD. के इस अश्वासन पर कि वे दिसम्बर 2014 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर देंगे, प्रबंध पर्षद ने दिसम्बर 2014 तक सर्वे की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की। यह भी निदेश दिया गया कि वर्तमान कार्यादेश के शर्तों के अन्तर्गत नया कार्यादेश जारी किया जाय। SERVICE TAX के बारे में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि M/S WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION (PVT.) LTD. द्वारा अपने टेंडर में SERVICE TAX के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है इसलिए SERVICE TAX के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि बी०सी०सी०एल०

प्रबंधन अपने किसी वरीय पदाधिकारी को NODAL OFFICER के रूप में नामित करें और इसी के हस्ताक्षर से निर्गत पत्र के आलोक में नीतिगत कार्रवाई की जाय।

12. झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की स्वीकृति के संबंध में :- स्वीकृत।
13. झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के वित्तीय वर्ष 2014-15 के पुनरिक्षित बजट प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में :- स्वीकृत।
14. झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के लिए 3<sup>rd</sup> Corpus fund के माँग के सिलसिले में पूर्व के व्यय (Audited Receipt and Expenditure report upto June'14) की उपयोगिता के अनुमोदन के संबंध में :- स्वीकृत।
15. झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार में कार्यरत अनुबंधित कर्मियों के मानदेय के वृद्धि के संबंध में:- प्रभारी पदाधिकारी (R&R) के द्वारा माननीय सदस्यों को बतलाया गया कि जे0आर0डी0ए0 में सम्प्रति तीन पदाधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त है, जबकी आठ पदाधिकारी/कर्मचारी साक्षात्कार के आधार पर अनुबंध पर नियुक्त है। ऐसे सम्पूर्ण पदा0/कर्मचारी द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2452क/वि0 दिनांक 26.11.2014 तथा वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2374/वि0 दिनांक 07.07.14 के आलोक में मानदेय की वृद्धि की मांग की गई है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2452/वि0 दिनांक 26.11.2011 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध पर नियुक्त सेवा निवृत्त कर्मियों को भी समय-समय पर बढ़े हुए महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाय। यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावित है। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2374/वि0 दिनांक 07.07.2014 में डाटा इन्ट्री आपरेटर की संविदा राशि 13300/- निर्धारित किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी ने बैठक में सूचित किया कि साक्षात्कार के आधार पर अनुबंध पर नियुक्त सभी कर्मी के मानदेय के वृद्धि में कठिनाई है क्योंकि दिनांक 13.01.2014 को आयोजित प्रबंध पर्षद में जे0आर0डी0ए0 के कार्यबल की समीक्षा की गई थी और नये संगठनात्मक ढांचे की स्वीकृति दी गई थी। इससे एक मुश्त राशि का भी निर्धारण किया गया है। कुछ पदों के लिए मानदेय में वृद्धि की सम्भावना है किन्तु कुछ में नहीं। इसलिए ऐसे 8 कर्मियों के मानदेय के वृद्धि के मागले के विचारण के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जाय, जिसमें उप विकास आयुक्त-सह-परियोजन निदेशक, अध्यक्ष, प्रभारी पदाधिकारी (R&R & Estb.) मुख्य प्रबंधक (वित्त), जे0आर0डी0ए0 तथा मुख्य प्रबंधक (असैनिक), जे0आर0डी0ए0 को सदस्य के रूप में रखा जाय। चर्चा में इस बात में सहमति बनी की कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। तीन सेवा निवृत्त अनुबंधित पदा0/कर्मियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2452/वी0 दिनांक 26.11.11 के आलोक में कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उपर्युक्त पदाधिकारियों की एक समिति गठित करने में भी सहमति बनी।
16. "झरिया विहार" कॉलोनी में मंदिर का चाहरदीवारी के निर्माण के संबंध में :- स्वीकृत।
17. बेलगड़िया में निर्माणाधीन 2000 (G+3) विस्थापन आवास के निर्माण में विभिन्न Development work (phase- I) की स्वीकृति के संबंध में :- स्वीकृत।







18. श्री युगल किशोर, प्रभारी भू-अर्जन, जे.आर.डी.ए. के अनुबंध अवधि का विस्तार :- स्वीकृत।
19. श्री अमरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) जे.आर.डी.ए. के अनुबंध अवधि का विस्तार:-स्वीकृत।
20. श्रीमती दयवंती देवी, अनुसेविका, जे.आर.डी.ए. के अनुबंध अवधि के विस्तार के संबंध में:-स्वीकृत।
21. श्री हराधन दास, निजी सहायक, जे.आर.डी.ए. के अनुबंध अवधि का विस्तार :- स्वीकृत।
22. श्री विनित कुमार ओझा, लेखापाल, जे.आर.डी.ए. के अनुबंध अवधि का विस्तार :- स्वीकृत।
23. मौजा लिपनिया में अधिग्रहित 120.82 ए० में टाउनशिप विकसित करने पर पुनर्विचार :- प्रभारी पदाधिकारी (R&R) के द्वारा बतलाया गया कि लिपनिया गं 120.82 ए० भू-भाग का भू-स्वामित्व प्राप्त है और इसमें से लगभग 80 ए० भू-भाग पर 6000 इकाई (G+3) का टाउनशिप विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अगर सम्पूर्ण भू-भाग पर 6000 इकाई का कार्य आरम्भ किया जाता है तो इसमें जे०आर०डी०ए० के साथ-साथ जिला प्रशासन को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि "भूमि बचाव मोर्चा" के बैनर तले इस क्षेत्र के सभी ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और बूढ़े-बच्चे तक बाधा पहुंचाने में भाग ले सकते हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर भी इस तथ्य से सहमत हैं। प्रभारी पदा० ने अपनी राय दी कि यदि इस क्षेत्र को छोटे-छोटे टुकड़ों में वाटकर टाउनशिप विकसित किया जाय तो सम्भवतः अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। उनके द्वारा सूचना दी गई कि 120.82 ए० अर्जित भू-भाग में से 51 प्लॉट ऐसे हैं जिसके विरुद्ध संबंधित रैयतो ने पूर्ण मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है जबकी 12 प्लॉट ऐसे हैं कि जिसकी रैयतो ने आंशिक राशि प्राप्त की है। तीन प्लॉट गैर आवाद खाते की हैं। इस सम्पूर्ण भू-भाग का रकबा 25.44 ए० है जहाँ लगभग 2000 (G+3) इकाई का विस्थापित आवास कालोनी विकसित की जा सकती है। विधि-व्यवस्था के दृष्टि कोण से भी यह स्थल सुगम है। ऐसा होने से अधिक से अधिक PARTICIPATION होगा और साथ ही COMPETITIVE दर भी प्राप्त होंगे तथा कार्य सम्पादन में भी सुविधा होगी। मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने भी उपर्युक्त बातों से सहमति जताई और बताया कि 2000 विस्थापित आवासों का UPDATED COST ESTIMATE बना लिया गया है। प्रबंध पक्ष ने इस संबंध में आगे की प्रक्रिया आरम्भ करने की अनुमति दी।
24. बी०सी०सी०एल० द्वारा खतरनाक क्षेत्रों का प्राथमिकता निर्धारित करने के संबंध में :- ट्रांजिट कैम्प तथा सर्वेक्षण के विषयों के चर्चा के क्रम में यह बिन्दु भी चर्चा का केन्द्र रहा कि बी०सी०सी०एल० द्वारा अभी तक कोई ऐसी सूची (RISK VULNERABILITY PLAN) जे०आर०डी०ए० को उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस स्थल के लोगों को विस्थापन में प्राथमिकता दी जाय। उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.07.2009 को तत्कालीन राज्यपाल के परामर्शी श्री टी०पी० सिन्हा की अध्यक्षता में आहूत बैठक में यह निदेश दिया गया था कि बोका पहाड़ी, मोदीभिट्टा, राजपूत बरती, LUJ PAT, ग्वाला पट्टी तथा खैरा कॉलोनी के 4650 परिवारों को 100 दिनों के अन्दर बेलगड़िया या भूली में स्थानांतरित कर दिया जाय। कतिपय कारणों से भूली में तो विस्थापन नहीं हो सका किन्तु बेलगड़िया में बोकापहाड़ी और LUJ PAT में परिवारों को स्थानांतरित करने में कुछ हद तक जे०आर०डी०ए० सफल रहा। बाद में बी०सी०सी०एल० के विशेष अनुरोध पर घानुडीह कोलियरी के परिवारों को बेलगड़िया भेजा गया। प्रायः इन्हीं तीनों स्थलों के परिवारों से बेलगड़िया पूरी तरह आवासित हो गया है। आज की तिथि में राजपूत बरती तथा

ढोकलडलडु डुरी तरड डुरलवलत है डलडु कलरुी तरड कुरी डलतनल.के डलतलत डुने से इनुकर नडुी कलरुल डल रलकतल है। वलडलर-वलडरुश के कडु डें अधुडकुष, डुे0आरु0डुी0ए0 कल रडु डुंतडुडु आडुल कल वुी0रुी0रुी0एलु0 कुे खतरनलक कुेत्र कुरी रूकुी डुरलथडुलकतल के आडुलर डुर डुे0आरु0डुी0ए0 कुे डुेनुी डुलडुलए तलकल आवलरुस उडुलडुडु डुेने डुर इरुी रूकुी से वलरुथलडुन कलरुल डल सकुे। शुरी डुी0 रुी0 डुल, तकनलकुरी नलडुेशक (सल0), वुी0रुी0रुी0एलु0 ने डुतललडुल कल डुलरुडुलर डुलन डें डुे रुथल डुशरुलए डुए वे डुे डुे डुे डुे वलडुलडुलत है और रुथल कुरी वलवरणुी डुी डुरलथडुलकतल के आडुलर डुर डुशरुलडुल डुलल है। अधुडकुष कल डुलननल है कल इस रूकुी से डुरलथडुलकतल नलडुलरलत नडुी कुरी डल सकतुी। रूकुी (PRIORITY BASED ON RISK VUNERABILITY) डुर डुेनुी डुलडुलए। तकनलकुरी डुलरुडुलकुरेण से आडुल के तलथल डें ऐसे रुथलुु कुरी डुरलथडुलकतल रूकुी तैडुलर करनुी डुलडुलए डुे खतरनलक रलथलतल डें है, तलकल उरुी के आडुलर डुर डुलवलषु डें डुे0आरु0डुी0ए0 अडुनल डुेडुनलडुु कुरी डुरलथडुलकतल सुनलरुलकुत कर सकुे।

धनुडुडुडु डुलडुन के डुलडु डुेठक सडुलडुत डुई।

  
22/08/14  
उडुलडुत, धनुडुडुडु  
-सडु-  
डुरडुंध नलडुेशक,  
डुे0आरु0डुी0ए0, धनुडुडुडु।

  
4109114  
डुरडुणुडुलुीडु आडुडुत,  
उतुतरी डुेठलनलडुडुर डुरडुणुडुल, डुलरुीडुलडु-सडु-  
अधुडकुष,  
डुे0आरु0डुी0ए0, धनुडुडुडु।